



सत्यमेव जयते

प्ररूप संख्या 5  
FORM NO. 5

राजस्थान सरकार  
Government of Rajasthan  
आर्थिक एवम सांख्यिकी निदेशालय  
Directorate of Economics & Statistics  
जन्म प्रमाण पत्र  
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और  
राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया)  
(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan  
Registration of Births and Deaths Rules, 2000)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय निकाय) ..... तहसील/खण्ड ..... जिला ..... राज्य/संघ राज्य ..... का रजिस्टर है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body) .....of Tehsil/Block..... of District ..... of State/Union Territory .....

नाम/Name :

लिंग/Sex :

जन्म तिथि/Date of Birth :

जन्म स्थान/Place of Birth :

माता का नाम/Name of Mother :

माता का आधार नंबर /Mother Aadhar No :

पिता का नाम/Name of Father :

पिता का आधार नंबर/Father Aadhar No :

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता

माता पिता का स्थायी पता

Address of parents at the time of birth of the Child:

Permanent Address of the Parents:

रजिस्ट्रीकरण संख्या/Registration No. :

रजिस्ट्रीकरण की तारीख/Date of Registration :

टिप्पणी/Remarks (if any) :

जारी करने की तारीख/Date of Issue :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of issuing authority  
जारी करने वाले प्राधिकारी का पता/Address of issuing authority  
मुहर/Seal

नोट: "बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता" एवं "माता पिता का स्थायी पता" के कॉलमों से सम्बंधित सूचनाएँ 01/01/2007 से पूर्व लागू नहीं थी।

Note : Information in respect of the columns "Present address of parents at the time of birth of the child" and "Permanent address of parents" were not applicable before 01/01/2007  
राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/22519 दिनांक 02.06.2015 के द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

Use of Digital Signature for issuing birth and death certificate is recognized by Economics and Statistics Department, Government of Rajasthan vide circular number F13/1/39/V5/DES/2013/22519 Dated 02.06.2015.  
Software Courtesy National Informatics Center (NIC), Rajasthan  
Certificate can be tracked on <http://pehchan.raj.nic.in>